राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....2576, 2577, 2578 / 2016..... जिला .....जोधपुर.....

उनवान : मैसर्स कीरि एण्ड कंपनी लॉजिस्टीक प्रा0 लि0 जोधपुर बनाम
1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग जोधपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

23 / 01 / 2017

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** 2003 कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत 26.10.2016 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने शास्ति एवं ब्याज पर आंशिक स्थगन प्रदान किया है परन्तु कर राशि पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत की गई है तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील संख्या	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया है
2576 / 2016	13–14	1,77,35,252	1,25,00,757	47,11,045
2577 / 2016	14–15	1,26,76,148	87,223	35,00,032
2578 / 2016	15–16	8,57,100	5,84,096	2,45,703

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री आर. वी. सोनी एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुंनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में आउट डोर कैटरिंग का कार्य किया गया है जिस पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ–12(25)एफडी / टैक्स / 11–139 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार आउटडोर केटरिंग में विक्रय पर कर दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अपीलार्थी व्यवसाई द्वारा केटरिंग के जरिये जो पके हुए भोजन का विक्रय

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....2576, 2577, 2578 / 2016..... जिला .....जोधपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज – 2 –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है उस पर निर्धारित कर दर 5 प्रतिशत से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी (वा.क. अ वृत्त प्रतिकरापवंचन जोधपुर) द्वारा अपीलार्थी के विक्रय पर 14 प्रतिशत की दर से करारोपण निर्धारित करते हुए 9 प्रतिशत अंतर कर, ब्याज एवं कर राशि की दोगुनी शास्ति आरोपित की गई है जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विरूद्ध होने से अविधिक है।

विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि आउटडोर केटरर को अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी शिडयूल की प्रविष्टि संख्या 50 पर अंकित करते हुए इन्हें विशिष्ट कर मुक्त व्यक्तियों में शामिल किया गया है एवं उसी क्रम में जारी अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के अनुसार उनके लिए कर दर को 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना की गलत व्याख्या की गई है कि इस अधिसूचना में केवल वे ही विक्रय सम्मिलित होंगे जो For the Purpose of any occasion किए जाते हैं उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा केवल आउटडोर केटरिंग ही की गई है एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से उनके प्रकरणों के मांग राशि पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है एवं स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल ब्याज एवं शास्ति की वसूली पर रोक लगा दी गई है लेकिन अविधिक रूप से आरोपित अंतर कर पर स्थगन जारी नही किये गये है तथा किसी समुचित कारण का उल्लेख किये बिना ही उनके प्रार्थना पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जो अविधिक होने से तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने से बकाया अवशेष मांग की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों के निस्तारण तक रोक लगाई जावें।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कथित अधिसूचना दिनांक 09.03.11

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....2576, 2577, 2578 / 2016..... जिला .....जोधपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज – 3 –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में किसी विशेष अवसर के उद्देश्य से की गई आउटडोर केटरिंग पर ही 5 प्रतिशत कर दर निर्धारित की गई है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थाई रूप से विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष स्थान पर वर्ष भर आउटडोर केटरिंग की जा रही है अतः इन पर 14 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित करना उचित होने से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

उक्त प्रकरणों में विवाद का बिन्दु आउटडोर केटंरिंग पर कर दर से संबंधित है एवं इस विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दु पर निर्णय किया जाना है कि आउटडोर केटरर जो कर अनुसूची 2 में वर्णित है एवं अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 से उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले पके हुए खाद्यान पदार्थ एवं अन्य खाने योग्य माल पर कर की दर 5 प्रतिशत अधिसूचित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विक्रय पर कर दर क्या होगी इस बिन्दु पर निर्णय किया जाना है ऐसी स्थिति में विधि का बिन्दु विवादित होने से एवं प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य उक्त अवशेष बकाया मांग की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति के 6 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्पादन करें। उपरोक्तानुसार स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए धारा 38(4) की अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

23/1/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष